भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 339
उत्तर देने की तारीख: 22/07/2025

अनाथों और दिव्यांगों के लिए समर्थ योजना

339. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले अनाथों अथवा परित्यक्त लोगों/बच्चों, तंगहाल परिवारों और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए समर्थ योजना चला रही हे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले अनाथों अथवा परित्यक्त लोगों/बच्चों, तंगहाल परिवारों और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की संख्या का कोई आंकड़ा उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में राज्यवार और जिलावार, विशेषकर बिहार में कितने राहत गृह अथवा समर्थ केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास द्वारा अनाथों, परित्यक्त दिव्यांगजनों, संकटग्रस्त परिवारों और राष्ट्रीय न्यास के तहत आने वाली चार दिव्यांगताओं में से कम से कम एक से ग्रस्त निराश्रित सहित बी.पी.एल और एल.आई.जी परिवारों के दिव्यांग सदस्यों के लिए भी समर्थ (राहत देखभाल) योजना और समर्थ-सह-घरौंदा (आवासीय देखभाल) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जा रहा है।

(ग) **अनुबंध-क** और **अनुबंध-ख** में दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में एनजीओ के केंद्रों पर राष्ट्रीय न्यास द्वारा वित्त पोषित 9 समर्थ और 11 समर्थ-सह-घरौंदा केंद्र हैं।

(घ) पिछले 5 वर्षों के दौरान उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित कुल धनराशि **अनुबंध - ग** और **अनुबंध - घ** पर वर्षवार और राज्यवार दी गई है।

अनुबंध – क

पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय न्यास द्वारा राज्य और जिलेवार स्थापित किए गए समर्थ केंद्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	ज़िला	समर्थ केंद्रों की संख्या
1	असम	कछार	1
2	गुजरात	जूनागढ़	1
3	मध्य प्रदेश	इंदौर	1
		सागर	1
4	ओडिशा	मयूरभंज	1
5	राजस्थान	दौसा	1
6	तमिलनाडु	कोयंबटूर	1
		कुड्डालोर	1
7	उत्तर प्रदेश	आगरा	1
	कुल योग		9

अनुबंध - ख

राष्ट्रीय न्यास द्वारा देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य और जिलेवार स्थापित किए गए समर्थ-सह-घरौंदा केंद्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	ज़िला	समर्थ सह-घरौंदा केन्द्रों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	1
2	छत्तीसगढ़	धमतरी	1
		रायगढ़	1
3	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	1
		नर्मदापुरम	1
4	ओडिशा	बलांगीर	1
		बालेश्वर	1
		पुरी	1
5	तमिलनाडु	सेलम	1
6	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	1
		बस्ती	1
	कुल योग		11

अनुबंध - ग

पिछले पांच वर्षों में समर्थ योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित कुल धनराशि का वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य	वर्ष				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	असम	0.02	0.00	0.03	0.11	0.10
2	गुजरात	0.23	0.23	0.25	0.24	0.24
3	मध्य प्रदेश	0.13	0.12	0.14	0.21	0.44
4	ओडिशा	0.26	0.23	0.25	0.25	0.25
5	राजस्थान	0	0	0.07	0.15	0.25
6	तमिलनाडु	0.35	0.37	0.45	0.42	0.38
7	उत्तर प्रदेश	0.29	0.44	0.55	0.47	0.30

अनुबंध - घ

पिछले पांच वर्षों के दौरान समर्थ-सह-घरौंदा योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित कुल धनराशि का वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य	वर्ष				
		2020-21	2021-22	2022- 23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	0.21	0.14	0.21	0.22	0.00
2	छत्तीसगढ़	0.00	0.20	0.56	0.60	0.60
3	मध्य प्रदेश	0.81	0.83	0.90	0.91	0.71
4	ओडिशा	0.62	0.97	0.92	0.92	0.92
5	तमिलनाडु	0.21	0.29	0.33	0.30	0.27
6	उत्तर प्रदेश	0.50	0.51	0.55	0.58	0.58
